

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम  
एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 74/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

दलपत सिंह सांखला निवासी: ए-19, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर  
.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 22/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/74/24/783-84 दिनांक 27.06.2024 से लिखा गया जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41/2/लो.सू. अ./प्रा.प.सं./20/2024/586-88 दिनांक 28.06.2024 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग के पत्र क्रमांक प.12/3(राज./सू.अ. 2005/24/1522-24 दिनांक 01.07.2024 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को को सूचना से संबंधित वांछित प्रतियां प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग को जरिये पत्रांक 586-88 दिनांक 28.06.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक 1522-24 दिनांक 01.07.2024 से वांछित सूचना की प्रतियां लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की गई है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हो पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से प्राप्त वांछित सूचना की प्रतियां अपीलार्थी को नहीं भिजवाई गई है तो 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि.  
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

